

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पैदासीन अधिकारी-बी प्रमोद कुमार आर ए एस

राजस्व आवेदन संख्या 266 / 2022

प्राथमिकता	व्यक्ति	द्वितीयकता
1. कुल पुर किराडी उम 64 वर्ष		1. देवदास पुर सहायक उम 65 वर्ष
2. अणु पुर किराडी उम 62 वर्ष जातिधान		2. बाबुराव पुर सहायक उम 68 वर्ष
कुम्हार (प्रजापति) विहाडी पोलीस		3. विठ्ठलदास पुर सूबायक उम 32 वर्ष
तहसील सिन्धुडी जिला झुंझीर		4. दीनदास पुर सूबायक उम 30 वर्ष
		5. लखनदास पुर सूबायक उम 34 वर्ष
		6. इन्दुदास पुर तुलसायक उम 30 वर्ष
		7. सदाशिव पुर तुलसायक उम 32 वर्ष
		8. वीरदास पुर तुलसायक उम 38 वर्ष
		9. साधुदास पुर तुलसायक उम 40 वर्ष
		10. अणुदास पुर तुलसायक उम 41 वर्ष जातिधान
		कुम्हार (प्रजापति) विहाडी पोलीस तहसील
		सिन्धुडी जिला झुंझीर
		11. वीरदास पुर सहायक उम 38 वर्ष
		12. रघु पुरी सहायक उम सहायक उम 30 वर्ष
		13. रामसुजी पुरी सहायक उम सहायक
		14. तुलसायक पुर सहायक उम सहायक उम 33 वर्ष
		15. वीरदास पुर सहायक उम 38 वर्ष
		16. विमल पुरी सहायक उम सहायक उम 35 वर्ष
		17. वीरदाडी पति सहायक उम 38 वर्ष
		18. सुमिता पुरी सहायक उम सहायक उम 22 वर्ष
		19. इन्दुदास पुर सहायक उम 38 वर्ष
		20. अमिता पुरी सहायक उम 35 वर्ष
		21. अणुदास पुर सहायक उम 33 वर्ष
		22. अशोक पति सहायक उम सहायक उम 60
		वर्ष जातिधान झुंझीर विहाडी पोलीस
		तहसील सिन्धुडी जिला झुंझीर
		23. तहसीलदास सिन्धुडी



तथ्यस्थिति

1. श्री भंवरलाल सारण प्रार्थी की ओर से तथ्यस्थिति।
2. विप्रार्थीगण एकतरफा।

आदेश

दिनांक 14.12.2023

1. संक्षेप में आवेदन के सुरुंगत तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण का खेत मौजा मोतीसरा पटवार हल्का पायला कला में खसरा संख्या 220 रकबा 5.7115 हैक्टर, खसरा संख्या 245/2 रकबा 13.9795 हैक्टर खातेदारी का अवस्थित है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढा आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओं को लेकर पक्षकारान में तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी द्वारा खेत मौजा मोतीसरा पटवार हल्का पायला कला में खसरा संख्या 220 रकबा 5.7115 हैक्टर, खसरा संख्या 245/2 रकबा 13.9795 हैक्टर खातेदारी की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थीगण का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थीगण के खेत मौजा मोतीसरा पटवार हल्का पायला कला में खसरा संख्या 220 रकबा 5.7115 हैक्टर, खसरा संख्या 245/2 रकबा 13.9795 हैक्टर खातेदारी आई हुई है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढा आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओं को लेकर पक्षकारान में तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा मौजा मोतीसरा पटवार हल्का पायला कला में खसरा संख्या 220 रकबा 5.7115 हैक्टर, खसरा संख्या 245/2 रकबा 13.9795 हैक्टर खातेदारी की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

4. हमने वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यों का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया कि मौजा मोतीसरा पटवार हल्का पायला कला में खसरा संख्या 220

रकबा 5.7115 हैक्टर, खसरा संख्या 245/2 रकबा 13.9795 हैक्टर खातेदारी प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है, जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत 2076-2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है, इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्ड्ड खातेदार है, और रिकार्ड्ड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने के लिए स्वतंत्र है, जिसके प्रार्थीगण हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्टर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए है, इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती, तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करतें। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

5. लिहाजा, प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा मोतीसरा पटवार हल्का पायला कला में खसरा संख्या 220 रकबा 5.7115 हैक्टर, खसरा संख्या 245/2 रकबा 13.9795 हैक्टर खातेदारी के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, उक्त कार्यवाही प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिश्नर फीस 1000/ प्रार्थीगण मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी

आदेश आज दिनांक 14.12.2023 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी